न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा , R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2022/73 दायरा दिनांक 18.02.2022

वादी बनाम प्रतिवादीगण

1. मूलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर

1. गुमानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर
2 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सत्यमेव जयते

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88, 136 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित–

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील वादी।
2. श्री हरफूल राव वकील प्रतिवादीगण संख्या 01।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.06.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख.न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर स्थित है।जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत है। वादी की माता उमादेवी पत्नी बेगाराम सम्वत हाल में फौत हो चुकी है।वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति दावा के साथ पेश की है।

वादी गरीब व भोला–भाला किसान है। तथा ग्रम मोडियावट का स्थाई निवासी है। और गॉव मे अपने कब्जे काश्त की भूमि पर खेती करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता है।

मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख. न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर जो वादी के पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत है।जिसमे वादी का नाम रामपाल पुत्र बेगाराम दर्ज है ।

वादी को बच्चपन मे रामपाल व मूलाराम दोनो नाम से जाना जाता था। तथा आज भी दोनो नाम से जानते है।गॉव के लोग अनपढ होने के कारण बोलने में मूलाराम के स्थान पर रामपाल कहने लग गये।

रामपाल व मूलाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। जो वादी का ही नाम है।तथा वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक, भामाशाह कार्ड आदि मे मूलाराम नाम दर्ज है। मगर उक्त खेत की खातेदारी मे वादी का नाम रामपाल दर्ज है।

वादी ने राज्य सरकार की योजना के तहत खेत की खतौनी निकलाने पर पता चला कि वादी का नाम रामपाल दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक, भामाशाह कार्ड के दस्तावेज आदि मे मूलाराम दर्ज होने से वादी राज्य सरकार से समय –समय पर मिलने वाली योजना का लाभ नही उठा सकने के कारण तथा मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख. न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर की खातेदारी मे वादी का नाम रामपाल लिखा होने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं। इसलिए वादी द्वारा यह घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है।

वादी अपना नाम मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख. न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख.न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर की खातेदारी में रामपाल के स्थान पर मूलाराम दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी है कि

मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख.न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामपाल पुत्र बेगाराम के स्थान पर मूलाराम पुत्र बेगाराम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 12.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हरफूल राव ने वकालतनामा व इकबालिया जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।तहसीलदार डीडवाना से रिर्पोट हेतु तहरीर जारी की गई

दिनाकं 20.06.2022 को तहसीलदार डीडवाना से रिर्पोट प्राप्त हुई।वादी ने साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके दावा पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया। बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। खातेदार् प्रतिवादी संख्या एक ने घोषणा पर किसी प्रकार का एतराज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध ईकबालिया जबाब व साक्ष्यों व दस्तावजो के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

:– आदेश–:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख.न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट के स्थान पर मूलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त फरमाया जावे।डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर

निर्णय आज दिनांक **20.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:32 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा , **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2022/73** दायरा दिनांक **18.02.2022**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मूलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर		1. गुमानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट तहसील डीडवाना जिला नागौर 2 श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88, 136 राज. काश्त. अधि.

दिनांक **20.06.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी वकील ओमप्रकाश पुनिया व श्री, प्रतिवादीगण वकील हरफुल राव की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा मोडियावट पटवार हल्का फोगडी की शहरद के खेत ख.न. 493 रकबा 2.5300 हैक्टर, ख.न. 506 रकबा 0.0100 हैक्टर, ख.न. 507 रकबा 0.1400 हैक्टर, ख.न. 508 रकबा 4.0200 हैक्टर, कुल रकबा 6.7000 हैक्टर की खातेदारी में वादी का नाम रामपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट के स्थान पर मूलाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मोडियावट घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त फरमाया जावे।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.06.2022** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा कर दो फरीकैन को जो सरकारी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner